न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 105/2011
जीसीएमएस : 2011/00031

1. साहबराम पुत्र श्री हुकमाराम जाति जाट साकिन 33 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज। —: वादी

बनाम

1. बृजलाल
2. हंसराज } पुत्रगण श्री नन्दराम जाति जाट साकिन क्रमशः 8 जी.एम. व 18 पी.टी.डी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. दुलीचन्द्र पुत्र श्री नन्दराम जाति साकिन खांटा तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.। (मृतक)
3/1. गुडीदेवी पत्नी श्री दुलीचन्द्र जाति जाट साकिन 18 पी तह. रायसिंहनगर।
3/2. मांगीलाल पुत्र श्री दुलीचन्द्र जाति जाट साकिन समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
3/3. कृष्णादेवी पुत्री श्री दुलीचन्द्र धर्म पत्नी श्री राकेश जाति जाट साकिन 12 एनडी तहसील एवं जिला अनूपगढ़।
3/4. भागवन्ती पुत्री श्री दुलीचन्द्र धर्म पत्नी श्री इन्द्रपाल जाति जाट साकिन 35 एम. ओ. डी. जिला अनूपगढ.।
3/5. सुमन पुत्री श्री दुलीचन्द्र धर्म पत्नी श्री राजीव जाति जाट साकिन 12 एन.डी. तहसील एवं जिला श्री अनूपगढ.।
3/6. सुनिता धर्म पत्नी श्री हनुमान पुत्री श्री दुलीचन्द्र जाति जाट साकिन 8 एस.के. एम. घड़साना तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़ राज.।
4. मुरलीधर पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट साकिन खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ.।
5. बनवारी लाल पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट साकिन खांटा तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

—:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—183—53—209 राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

तारीख रजू 20.11.2006

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री कृष्णलाल पूनिया अधिवक्ता वादी।
2. श्री हरपालसिंह सूदन अधिक्क्ता प्रतिवादीगण।

दिनांक : 07.01.2025

—: <u>निर्णय</u> :—

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के दादा श्री हुक्माराम के नाम से संवत 2025 से 2028 में चक 33 पीएस के खाता संख्या 38 के मु.नं. 27 के 24 बीघा 10 बिस्वा, मु.नं. 29 के 7 बीघा, मु.नं. 30 के 12 बीघा 16 बिस्वा, मु.नं. 75/8 के 14 बिस्वा कुल 45 बीघा कृषि थी। हुक्माराम का देहान्त सन् 1972 में हो गया। हुक्माराम के देहान्त हो जाने के बाद उक्त भूमि 9 हिस्सा में विरास्तन इन्तकाल हो गया है। इस इन्तकाल की नकल लेने का प्रार्थना पत्र वादी ने पेश किया तो इन्तकाल की नकल नही [illegible] खारिज किया। [illegible] विधिक हुक्माराम का देहान्त हो जाने के बाद उक्त भूमि [illegible] रूकमनी, प्रतिनिधि वादी साहबराम, नेताराम, नन्द[illegible] और इसी [illegible] राजस्व परमेश्वरी, विद्या को ब हिस्सा बराबर—[illegible] कागजत में अमल दरामद हो गया। [illegible] ने एक के हक में शांति, सावित्री, रूकमनी, [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:10 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

दस्तबरदारी उपपंजीयक रायसिंहनगर के कार्यालय में तस्दीक करवा दी ओर इस दस्तबरदारी का इन्तकाल तस्दीक होने पर वादी को 7/9 हिस्सा, नेतराम को 1/9 हिस्सा व नन्दराम को 1/9 हिस्सा भूमि आई। इसके बाद इस भूमि की भू. प्रबन्धक विभाग द्वारा पेमाईश की गई तो भू. प्रबन्धक विभाग ने यह माना है कि हुक्माराम वल्द मोतीराम के फौत होने पर नामान्तरणकरण संख्या 57 में नन्दराम के नाम 1 हिस्सा, नेतराम के नाम 1 हिस्सा व साहबराम के नाम 7 हिस्सा भूमि खातेदार रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है। साहबराम की कृषि भूमि जो हिस्सा में 35 बीघा आई है उस मूमि में से 14 बीघा भूमि चक 33 पीएस के मु.नं. 27 के 4 बीघा व 30 के 10 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के नाम भू. प्रबन्धक विभाग द्वारा दर्ज कर दी और वादी के नाम 21 बीधा भूमि दर्ज कर दी। वादी एक सीधा–साधा भोला–भाला कृषक है जिसको रिकाड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वादी का भाई नन्दराम सबसे बड़ा था और चतुर एवं चालाक था वह परिवार का मुख्य होने की वजह से समस्त कार्यवाही व लेन–देन वही करता था और वादी अपने बड़े भाई नन्दराम के कहने से ही सब कुछ कार्य करता था। नन्दराम वादी का जो भाई था उसने भू. प्रबन्धक विभाग के कमचारियों से वादी को बिना बताये उसकी कृषि भूमि 35 बीधा में से 14 बीघा भूमि नन्दराम ने अपने लड़के प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के नाम करवा दी जो गैर कानूनी है। क्योकि भू. प्रबन्धक विभाग के अधिकारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत कार्यवाही करने में अधिकृत नहीं है इसलिए इस अधिकारी द्वारा रिकार्ड में बंटवारा दिखाकर कृषि भूमि को हिस्सा कम या ज्यादा करने का अधिकारी नही होने के कारण उसके द्वारा की गई कार्यवाही प्रारम्भ से शून्य है एवं ऐसे आदेश की पालना नहीं कराई जा सकती है इसलिए बंटवारा की यह कार्यवाही शून्य होने के कारण वादी के हितो एवं अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डाल सकती है। नन्दराम जीवित रहा तब तक तो प्रतिवादीगण चुप रहे नन्दराम का देहान्त दिनांक 07.12.2010 को हो गया उसके देहान्त होते ही प्रतिवादीगण ने मेरे नाम की कृषि भूमि जो नन्दराम ने अपने लड़के प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के नाम 14 बीघा करवाई थी। उस भूमि का कब्जा जबरन बलपूर्वक अब नई बैशाखी पर कर लिया जिसे वादी वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है वर्तमान में वादी के नाम सम्बत 2064 से 67 में 6.831 है. भूमि कब्जा कास्त में है। इस पर वादी ने तहसील में आकर रिकार्ड में पता किया तो वादी को पता चला कि भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने मेरी 14 बीघा भूमि अपने नाम करवा ली है जो गैर कानूनी है जिसे वादी पुनः प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इस पर वादी ने दिनांक 07.07.2011 को पंचायत इकटी कर प्रतिवादीगण से कहा कि विवादित भूमि मेरे नाम राजस्वकागजात मे करवा दो तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया यह तारीख बिना[illegible] की वादी के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज हुआ उस [illegible] प्राप्त है। प्रतिवादीगण ने सरे आम ऐलानिया कर [illegible] नाम से है हमारे से यह भूमि जाती दिखाई दी तो हम किसी त[illegible] खुर्द कर देगे जिससें वाद ता जिन्दगी कब्जा नहीं छुड़ा सकता। [illegible] को जरिये मालिक राजस्थान सरकार है इसलिए राजस्थान सर[illegible] विवादित भूमि तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को पक्षकार बनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
राय[illegible]र

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:10 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

श्रीमान् के न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए वाद-पत्र वादी श्रीमान् के न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। वादी का वाद पत्र प्रतिवादीगण की इन्कारी से स्पष्टतया अन्दर मियाद में है अतः वाद पत्र पेश करके अर्ज है कि वाद पत्र वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे। कि चक 33 पीएस के मु. नं. 27 के 4 बीघा, मु.नं. 30 के 10 बीघा कुल 14 बीघा भूमि जो भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी की प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज की है उकसा वादी को खातेदार घोषित किया जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश श्रीमान् तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को भेजा जावे। समस्त कृषि भूमि चक 33 पीएस के मु.नं. 27 के 24 बीघा 10 बीस्वा, मु.नं. 29 के 7 बीघा, मुरब्बा नं. 30 के 12 बीघा 16 बीस्वा 75/8 के 14 बिस्वा कुल 45 बीघा भूमि में से वादी का 7/9 हिस्सा भूमि का किलेवाईज विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तदनुसार वादी के हिस्सा में आई भूमि का भौतिक रूप से कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादीगण के कब्जा की वादी की भूमि 14 बीघा का 10 हजार रूपया प्रति बीघा के हिसाब से ठेका राशि जब तक वादी की भूमि का कब्जा नहीं मिलें तब तक प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की तरफ श्री हरपालसिंह सूदन अधिवक्ता ने वकालतनामा मय जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रतिवादीगण के नाम भू. प्रबन्धक विभाग द्वारा जो भूमि का अमलदरामद किया है वह वादी तथा उसके हकीकी भाई नेतराम तथा प्रतिवादीगण के पिता नन्दराम की आपसी सहमति तथा घरेलू बंटवारा के अनुसार दिनांक 3012.1976 के अनुसार दर्ज की गई है। जिसमें वादी तथा उनके हकीकी भाई नेतराम तथा अन्य काश्तकारान ने अपनी भूमि का विभाजन का प्रस्ताव तथा कब्जा अनुसार भूमि का अमलदरामद करने का प्रार्थना पत्र श्रीमान् भू. प्रबन्धक अधिकारी के प्रस्तुत किया जिस पर वादी तथा अन्य सह काश्तकारान की कब्जा संबंधी सहमति ली जाकर हम प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के नाम अमलदरामद किया है जिस आदेश के विरूद्व आज तक वादी द्वारा कभी कोई आपत्ति नहीं की। तथा सन् 1976 से लेकर आज दिन तक हम प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में वादी द्वारा दर्शाया गया रकबा की बजाय चक 33 पीएस तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 8 पं.नं. 257/291 का कि.नं. 3–8 सालम–2, मु.नं. 27 पं.नं. 260/294 के कि.नं. 21 ता 24 सालम–सालम, मु.नं. 29 पं.नं. 259/295 के कि.नं. 1 ता 6 सालम–सालम, मु.नं. 30 पं.नं. 260/295 के कि.नं. 1 ता 13 सालम–सालम कुल 25 बीघा पर कब्जा काश्त है। भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा जब भूमि का बटवारा किया गया तो वादी तथा अन्य सभी सहकाश्तकारान की सहमति लेकर ही इन्तकाल [illegible] दर्ज किया है। भू. प्रबन्ध विभाग राजस्थान [illegible] धाराओं के तहत कार्यवाही करने के लिए सक्षम है [illegible] सरकार द्वारा भू. प्रबन्ध यानि भूमि का सैटलमैन्ट [illegible] सहुलियत के लिए ही भू.प्रबन्ध विभाग [illegible] सैटलमैन्ट करवाया है तथा भू. प्रबन्ध विभाग सभी काश्तकारों की आपसी सहमति के आधार पर ही कार्यवाही करते है वादी तथा उसके भाई नेतराम तथा हम

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

...दीगण के पिता द्वारा आपसी भूमि का सैटलमैन्ट कर ही भूमि का विभाजन ...या है जिसे 30 साल से उपर का समय व्यतीत हो चुका है तथा इसकी ...कारी वादी को शुरू से ही है लेकिन आज तक इस संबंध में किसी किश्म ...कार्यवाही नहीं की है अब वादी इस संबंध में कार्यवाही करने में सक्षम नहीं ...उक्त भूमि का जब से प्रतिवादीगण के नाम से इन्तकाल दर्ज हुआ है कब्जा ...में चली आ रही है। वादी के कब्जा काश्त में 27 बीघा भूमि पर कब्जा ...जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज है। अतिरिक्त आपतिया दर्ज कराते ...अंकित किया है कि विवादित भूमि के संबंध में वादी तथा हम प्रतिवादीगण ...पिता नन्दराम व उनके भाई नेतराम का आपसी घरेलू विभाजन हुआ तथा ...भाजन के अनुसार वादी तथा नेतराम तथा हम प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना ...त्र श्रीमान भू. प्रबन्धक विभाग बीकानेर के सक्षम पेश किया कि उनका घरेलू ...आपसी भूमि का विभाजन है तथा विभाजन के अनुसार उनका कब्जा काश्त है ...इसिलए कब्जा काश्त के अनुसार उनके नाम राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। जिस पर श्रीमान् सहायक भू. प्रबन्ध अधिकारी भू.प्रन्बध विभाग द्वारा सभी काश्तकारों की आपसी सहमति के ब्यान लेकर भूमि का खाता विभाजन किया तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया। उक्त विभाजन दिनांक 30.12.1976 को किया गया हैं जिसके अनुसार आज दिनांक तक वादी ने इस संबध में कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन अब पारिवारिक झगड़ा होने तथा भूमि की कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण वादी का मन बेइमान हो चुका है तथा उस पारिवारिक रंजिश को निकालने के लिए वादी ने यह बिला आधार का वाद पेश किया जो अन्दर मियाद ना होने के कारण काबिल खारिजी के हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार 30 साल की अवधि से ऊपर निर्णय पारित होने के बाद उस निर्णय कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से चुनोति नहीं दे सकता है जबकि इस प्रकरण में भी 30 साल से अधिक की अवधि समाप्त हो चुकी हैं। वादी को इस आदेश के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उस आदेश के विरूद्व वादी को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए थी जो आज तक वादी ने कही भी नहीं की है। इसलिए भी वाद काबिल खारिजी के हैं। वादी ने मृतक हुक्माराम के जीवित काल के समय की जमाबन्दी तथा इन्तकाल प्रस्तुत नहीं किया है जिस कारण भी वाद काबिल खारिजी के है अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी वर्तमान सुरत में खारिज फरमाया जाकर खर्चा जवाब देही दिलाया जावे। राजस्थान सरकार की तरफ से पैरोकार राज नायब तहसीलदार मुकालावा ने दिनांक 05.03.2013 जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद का है जिसमें राज्य सरकार को भू. धारक होने के कारण आवश्कयक पक्षकार बनाया गया है व कोई अनुतोष राज्य सरकार के विरूद्व नहीं चाहा गया है इसमें कोई राजकीय हित निहित नहीं है। वादी वाद पत्र मे भू. प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के विरूद्व ही अनुतोष चाहा है। जवाब सरकार शामिल मिसल किया गया। प्रतिवदी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र [illegible] आदेश 7 नियम 14 व 151 सीपीसी पेश किया। जो वाद सुनवाई स्वीकार [illegible] प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 55 राजस्थान [illegible] अधि. पेश किया। जो सुनवाई बाद खारिज किया गया। वादी अधिवक्ता [illegible] प्रार्थना पत्र धारा 190 भू–राजस्व अधिनियम पेश किया। [illegible] खारिज किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:10 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

...दी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 17 व धारा 151 पेश किया ...नवाई के उपरान्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गिरदारी प्रदर्श डी–1

...क्त प्रकरण के संबंध में न्यालालय जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के वादी साहबराम पुत्र श्री हुकमाराम जाति जाट साकिन ने अपील विरुद्ध इंतकाल सं. 247 दिनांक 31.05.2011 के विरुद्ध प्रकरण सं. 51/2024 साहबराम बनाम बनवारीलाल आदि पेश किया गया । जिसके संबंध मे अपील अपीलांट आशिंक रूप से स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं. 247 दिनांक 31.05.2011 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि उभय पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, अपीलाधीन भूमि के कब्जे एवं पजीकृत दस्तबदारी को दृष्टिगत रखते हुए पुनः विधिसम्मत् आदेश पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.11.2015 को उपस्थित हो। आदेश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाया गया।

4. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:–

(i) आया कि वादी के पिता प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के दादा श्री हुक्माराम के नाम चक 33 पीएस के खाता संख्या 38 के मु.नं. 27 के 24 बीघा,10बिस्वा, मु.नं. 29 के 7 बीघा, मु.नं. 30 के 12 बीघा, 16 बिस्वा, मु.नं. 75/8 के 14 बिस्वा कुल 45 बीघा कृषि थी। उनके देहान्त हो जाने केबाद उक्त भूमि 9 हिस्सा में विरास्तन में मिली और वादी का 1/9 हिस्सा यानि 5 बीघा भूमि आई व दिनांक 10.051972 को वादी की बहने परमेश्वरी, शान्ति, सावित्री, रूकमनी, विद्या व गौमती ने एक दस्तबरदारी साहबराम वादी के पक्ष में करवाई इस प्रकार वह 7/9 हिस्सा भूमि पाने का अधिकारी है ? —:जिम्मेवादी

(ii) आया कि भू–प्रबन्धक विभाग के उक्त 35 बीघा भूमि में से 14 बीघा भूमि चक 33 पीएस के मु.नं. 27 के 4 बीघा, 30 के 10 बीघा कुल 14 बीघा प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 ने भू–प्रबन्धक विभाग के अधिकारियों से अपने नाम करवा ली। जबकि भू–प्रबन्धक विभाग के अधिकारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत कार्यवाही करने से अधिकृत नहीं है। इसलिए वादी अपने हिस्सा की 35 बीघा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है ? —:जिम्मेवादी

(iii) आया कि पक्षकारान के मध्य उक्त विभाजन हुए लगभग 30 साल हो चुके है। इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार इस [illegible] मान्य नही अवधि में कोई एतराज नहीं होने की व[illegible] —प्रतिवादीगण— हैं ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:10 IST
Reason: SelfAttested

(iv) अनुतोष।

5. वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में गवा[illegible]हबराम ने शपथ पत्र [illegible] सम्वत बावत साक्ष्य पेश किया व प्रदर्श–1 [illegible] 33 [illegible]–2 चक 33 पीएस 2025 ता 2028 हुकमा राम वल्द मोतीराम की [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

की जमाबन्दी साहबराम वल्द हुकमाराम की प्रति, प्रर्दश–3 चक 33 पीएस नंदराम वगैरह बरता संख्या 173 में अंकित बंटवारानामा की प्रमाणित प्रति भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी की प्रति, प्रदर्श–4 चक 33 पीएस की जमाबन्दी साहबराम वल्द हुकमाराम प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–5 दस्तबरदारी की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–6 भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पडत बृजलाल वगैरह की प्रति, प्रदर्श–7 भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा जारी प्रतिवादीगण बृजलाल आदि के नाम की जमाबन्दी की प्रति, प्रदर्श–8 नकल लेने का प्रार्थना पत्र की प्रति, प्रदर्श–9 इन्तकाल नम्बर 57 के दर्ज न होने की रिपोर्ट की प्रति, प्रदर्श–10 भू–प्रबध कार्यवाही व नजरी नक्शा की प्रति प्रदर्शित करवाए गए। जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में गवाह मुरलीधर, हसंराज, दुलीचन्द, बनवारी लाल, बृजलाल ने शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। जिरह वकील वादी द्वारा की गई। ब्यान शामिल मिसल किए गए।

6. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:–

तनकी संख्या (i) आया कि वादी के पिता प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के दादा श्री हुक्माराम के नाम चक 33 पीएस के खाता संख्या 38 के मु.नं. 27 के 24 बीघा,10बिस्वा, मु.नं. 29 के 7 बीघा, मु.नं. 30 के 12 बीघा, 16 बिस्वा, मु.नं. 75/8 के 14 बिस्वा कुल 45 बीघा कृषि थी। उनके देहान्त हो जाने के बाद उक्त भूमि 9 हिस्सा में विरास्तन में मिली और वादी का 1/9 हिस्सा यानि 5 बीघा भूमि आई व दिनांक 10.051972 को वादी की बहने परमेश्वरी, शान्ति, सावित्री, रूकमनी, विद्या व गौमती ने एक दस्तबरदारी साहबराम वादी के पक्ष में करवाई इस प्रकार वह 7/9 हिस्सा भूमि पाने का अधिकारी है ?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी संख्या 1/1 ता 1/9 के दादा हुक्माराम पुत्र मोतीराम जाति जाट के नाम चक 33 पीएस के खाता संख्या 38 के मु.नं. 27 के 24 बीघा 10 बिस्वा, मु.नं. 29 के 7 बीघा, मु.नं. 30 के 12 बीघा 16 बिस्वा, मु.नं. 75/8 के 14 बिस्वा कुल 45 बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड थी। हुक्माराम का देहान्त सन् 1972 में हो गया। हुक्माराम के देहान्त हो जाने के बाद उक्त भूमि उनके के विधिक वारिस साहबराम, नेतराम, नन्दराम पुत्र व गोमती, शांति, सावित्री, रूकमनी, परमेश्वरी, विद्या पुत्रियां कुल नौ वारिस थे। प्रत्येक के 1/9 हिस्सा भूमि यानि 5 बीघा आती थी। वादी की छः बहिनों गोमती, शांति, सावित्री, रूकमनी, परमेश्वरी, विद्या आदि के द्वारा दिनांक 10.05.1972 को अपना हक जरिए पंजीकृत दस्तबरदारी [illegible] साहबराम के पक्ष में निष्पादित करवा दिया गया। इस हकत्याग के [illegible] वादी साहबराम के हक में कुल 7/9 हिस्सा यानि 35 बीघा भूमि आई [illegible] हकत्याग के आधार पर साहबराम 7/9 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी इस तनकी को साबित करने में सफल रहा है अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

तनकी संख्या **(ii)** आया कि भू–प्रबन्धक विभाग के उक्त 35 बीघा भूमि में से 14 बीघा भूमि चक 33 पीएस के मु.नं. 27 के 4 बीघा, 30 के 10 बीघा कुल 14 बीघा प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 ने भू–प्रबन्धक विभाग के अधिकारियों से अपने नाम करवा ली। जबकि भू–प्रबन्धक विभाग के अधिकारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत कार्यवाही करने से अधिकृत नहीं है। इसलिए वादी अपने हिस्सा की 35 बीघा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है ?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। प्रदर्श–3 चक 33 पीएस नदंराम वगैरह बस्ता संख्या 173 में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.1976 के मुताबिक वादगत उक्त 45 बीघा भूमि में से हुकमाराम वल्द मोतीराम के फौत होने पर नामान्तरण संख्या 57 से नन्दराम 1 हिस्सा यानि 5 बीघा, नेतराम 1 हिस्सा यानि 5 बीघा, साहबराम 7 हिस्सा यानि 35 बीघा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नेतराम ने अपने पिता से प्राप्त हिस्सा में से 4 बीघा व साहबराम ने अपने हिस्सा में से 8 बीघा अपने बडे भाई के लडके बृजलाल वगैरह को व नन्दराम ने अपना हिस्सा अपने पांचों लडके बृजलाल, हंसराज, दुलीचन्द, मुरलीधर, बनवारी लाल को दिया और राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु निवेदन किया गया है। वादी के अधिवक्ता के अपने वादपत्र के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के न्यायिक दृष्टांत आर.एल. डब्ल्यू. 2010(2)आरजे रामरतन बनाम भगवान सहाय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2010 की प्रति पेश की। जिसके अनुसार भू. प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान सहायक भू. प्रबन्ध अधिकारी द्वारा केवल सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री, विधिक हस्तान्तरण या सक्षम अधिकारी के आदेश से ही खातेदारी में परिवर्तन किया जा सकता है। परन्तु भू. प्रबन्ध विभाग के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88, 53 के तहत वादी साहबराम को अपने पिता से विरास्तन व जरिए पजीकृत दस्तबरदारी प्राप्त 35 बीघा भूमि में से 8 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता तकसीम किया गया है। सहायक भू. प्रबन्ध अधिकारी को निर्णय दिनांक 30.12.1976 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को दिये गये अनुतोष की अधिकारिता नहीं थी। जो प्रारम्भ से ही शून्य है। वादी इस तनकी को सिद्व करने मे सफल रहे है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या(iii)आया कि पक्षकारान के मध्य उक्त विभाजन हुए लगभग 30 साल हो चुके है। इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार इस अवधि में कोई एतराज नहीं होने की वजह से अब आपति मान्य नही हैं?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी [illegible] थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में [illegible] जा चुकी है। [illegible] विभाग प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावा में कथन [illegible] कार्यवाही करने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] किया के लिए सक्षम हैं। उन अधिक[illegible] धारा 90 के अनुसार गया है। जो अन्तिम हो चुका है। साक्ष्य अधिनियम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

30 साल की अवधि से उपर निर्णय पारित होने के बाद उस निर्णय कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दे सकता है जबकि इस प्रकरण में भी 30 साल से अधिक की अवधि समाप्त हो चुकी हैं। वादी को इस आदेश के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उस आदेश के विरूद्व वादी को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए थी जो आज तक वादी ने कही भी नहीं की है। इसलिए भी वाद काबिल खारिजी के हैं। लिहाजा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को वादगत भूमि के बंटवारानामा को तस्दीक कर विभाजन करने की अधिकारिता नहीं थी। सहायक भू. प्रबन्ध अधिकारी को द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.1976 प्रारम्भ से ही शून्य है। इसके साथ–साथ प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त तनकीयात के सन्दर्भ में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जिससे साबित होता हो कि सहायक भू. प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.1976 में प्रस्तुत आपत्तिया मान्य न हो। प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने मे असफल रहे है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

(iv)अनुतोष।

तनकी संख्या 1, 2 बहक वादी व तनकी संख्या 3 विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की गई है। अतः वादीगण को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है।

–ःआदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 183, 209, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 33 पीएस, पटवार क्षेत्र खाटा, भू.अ.नि. क्षेत्र सांवतसर की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 44/49 में वादी को 2.024 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने व कब्जा वादी का दिलाए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

सुभाषचन्द्र
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं दंम उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सुभाषचन्द्र
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं ... अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:10 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास :सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 105/2011
जीसीएमएस : 2011/00031
अनवान: साहबराम बनाम बृजलाल आदि
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 183, 209 आरटीए

निर्णय दिनांकः–07.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई बरूबरू हमारे ब हाजरी श्री कृष्ण कुमार [या] अधिवक्ता वादी व श्री हरपाल सिंह सूदन अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुकम [ा] जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती है कि:– वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 183, 209, [ाज]स्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर [राज]स्व ग्राम 33 पीएस, पटवार क्षेत्र खाटा, भू.अ.नि. क्षेत्र सांवतसर की जमाबन्दी सम्वत 2064 [–]2067 के खाता संख्या 44/49 में वादी को 2.024 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया [जा]कर उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने व कब्जा वादी को दिलाए जाने के [आ]देश दिए जाते है।

डिक्री आज दिनांक 07.01.2025 को जारी की गई।

(सुभाषचन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
दिनांकः–

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

[क्र]मांक/रीडर/2025/
[प्र]तिलिपिः–
[तह]सीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(सुभाषचन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:19:10 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner